झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
आदेश

संचिका संख्या– 04/आ0–03–1005/2017 41 राँची,दिनांक– 1/2/18

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, दुमका प्रक्षेत्र, दुमका के पत्रांक–336 दिनांक–17.05.2017 द्वारा समर्पित क्षेत्र भ्रमण प्रतिवेदन के द्वारा विभाग को ज्ञात हुआ कि पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड के तालझारी पंचायत में चापाकलों की स्थिति सबसे खराब हैं। इस दौरान श्री मोहन मण्डल, कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा–लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ प्रमण्डल के पद पर पदस्थापित रहे है। उनके द्वारा पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गयी है, जिस कारण लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड के तालझारी पंचायत में अधिकांश चापाकल खराब है। यह प्रखण्ड जल समस्या से ग्रस्त है, परन्तु श्री मण्डल द्वारा उक्त समस्या के समाधान हेतु कोई कार्रवाई न कर पूर्णतः लापरवाही बरती गयी है जिससे आम जनता को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ा ।

2. उक्त के आलोक में प्रतिवेदित आरोपों के विरूद्ध विभागीय आदेश संख्या–194 सहपठित ज्ञापांक–2509 दिनांक–30.05.2017 द्वारा श्री मण्डल को निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अभय नन्दन अम्बष्ठ, उप सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को जाँच संचालन पदाधिकारी तथा विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री राकेश चन्द्र, अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच पूर्ण कर अभिलेख संख्या–03/2017 दिनांक–02.01.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री मण्डल के विरूद्ध गठित आरोपो में से विलम्ब से स्थल निरीक्षण कर कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप आंशिक प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के विरूद्ध श्री मण्डल से विभागीय पत्रांक–155 दिनांक–10.01.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री मण्डल के पत्रांक–शून्य दिनांक–16.01.2018 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी, जिसमें पाया गया कि श्री मण्डल द्वारा उक्त प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के विरूद्ध कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. उक्त वर्णित पूरे मामले के समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री मण्डल के विरूद्ध प्रपत्र–क में गठित आरोप आंशिक प्रमाणित पाये गये एवं तदनुसार श्री मण्डल को उक्त के विरूद्ध **"चेतावनी"** देते हुए, तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही निष्पादित करने का निर्णय लिया गया है।

5. उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में निम्न आदेश दिये जाते हैः–

i. श्री मोहन मण्डल, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा, लिट्टीपाड़ा सम्प्रति निलंबित अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, दुमका को **"चेतावनी"** दी जाती है। जिसकी प्रविष्टि श्री मण्डल के चरित्र पुस्त में की जाय।

ii. श्री मण्डल को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।
iii. श्री मण्डल द्वारा निलंबन में बितायी गयी अवधि कर्त्तव्य अवधि मानी जायेगी।
iv. श्री मण्डल के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री मोहन मण्डल, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा, लिट्टीपाड़ा सम्प्रति निलंबित अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, दुमका एवं अन्य संबंधित को उपलब्ध करायी जाय।

1/2/18

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक— 586 राँची,दिनांक— 1/2/18

प्रतिलिपि— मा0 विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख /सभी संयुक्त सचिव/ सभी मुख्य अभियन्ता/सभी उप सचिव/ सभी अधीक्षण अभियन्ता (यॉंत्रिक सहित)/सभी अवर सचिव/सभी कार्यपालक अभियन्ता (यॉंत्रिक सहित) / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—03, एवं 04 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

1/2/18

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक— 586 राँची,दिनांक— 1/2/18

प्रतिलिपि— श्री अभय नन्दन अम्बष्ठ, उप सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को जाँच संचालन पदाधिकारी तथा विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री राकेश चन्द्र, अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/2/18

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक— 586 राँची,दिनांक— 1/2/18

प्रतिलिपि— श्री मोहन मण्डल, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा, लिट्टिपाडा सम्प्रति निलंबित अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/2/18

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक— 586 राँची,दिनांक— 1/2/18

प्रतिलिपि—श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT) PMU पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/2/18

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

C:\Users\win8\Desktop\Section-04\Office work\PROCEEDINGS dep\Proceding\Mohan Mandal punishment.docx